

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से जनपद आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा को एक सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में एक औपचारिक पत्र लिखें जिसमें निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें।

पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।

पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।

पत्र में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें।

पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।

पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए मांगपत्र का हवाला देते हुए लिखें कि आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को संगठन का प्रतिनिधि मण्डल आपसे भेंट कर मांगपत्र का स्मरण कराने हुए पुन आपसे भेंट कर रहा है।

भावनात्मक भाषा में दुःख और क्षोभ प्रकट करते हुए लिखें कि संगठन ने दिनांक 5 फरवरी 2024 को एक मांगपत्र आपसे भेंट कर व्यक्तिगत रूप से सौंपा था। जिस पर अभी तक कोई कार्यावाही नहीं हुई है।

संगठन के प्रतिनिधि मंडल का हवाला देते हुए लिखें कि उक्त मांगपत्र के निस्तारण को लेकर गत सप्ताह संगठन का प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में आपसे पुन आपसे भेंट कर मांग पत्र को निस्तारित करने का पूर्ण आश्वासन दिया था।

खेद व्यक्त करते हुए लिखें कि अभी तक मांग पत्र का एक भी प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ है।

जनपद के शिक्षकों का रोष व्यक्त करते हुए लिखें कि जिससे जनपद के शिक्षकों में भारी रोष है।

भावनात्मक रूप से लिखें कि संगठन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप शिक्षकों के प्रकरणों के निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

भावनात्मक रूप से अनुरोध, आशा और उम्मीद प्रकट करते हुए लिखें कि शिक्षकों के लम्बित सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ जल्द निस्तारित करने की कृपा करें।

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से आगरा मण्डल के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) महोदय को एक सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में एक औपचारिक पत्र लिखें जिसमें निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें।

पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।

पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।

पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।

पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखें कि आज दिनांक 16.3.2024 का हवाला देते हुए लिखें कि आज दिनांक 19.3.2024 का स्मरण कराने हुए पुन आपसे भेंट कर स्मरण पत्र दिया जा रहा है।

भावनात्मक भाषा में दुःख और क्षोभ प्रकट करते हुए लिखें कि संगठन ने दिनांक 16.3.2024 को “सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान के सम्बन्ध में” आपसे भेंट कर व्यक्तिगत रूप से सौंपा था। जिस पर अभी तक कोई कार्यावाही नहीं हुई है।

संगठन के प्रतिनिधि मंडल का हवाला देते हुए लिखें कि उक्त मांगपत्र के निस्तारण को लेकर गत सप्ताह संगठन का प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में आपसे पुन आपसे भेंट कर मांग पत्र को निस्तारित करने का पूर्ण आश्वासन दिया था।

खेद व्यक्त करते हुए लिखें कि अभी तक मांग पत्र का एक भी प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ है।

जनपद के शिक्षकों का रोष व्यक्त करते हुए लिखें कि जिससे जनपद के शिक्षकों में भारी रोष है।

भावनात्मक रूप से लिखें कि संगठन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगरा मंडल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति लाभ 31 मार्च 2024 तक मिलने की स्थिति नहीं है विशेष रूप से आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक लगातार अवकाश पर चल रहे हैं

जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा कार्यालय में लगभग 20–20 पत्रावलियां पेंशन और जीपीएफ की लंबित है

भावनात्मक रूप से अनुरोध, आशा और उम्मीद प्रकट करते हुए लिखें कि शिक्षकों के लम्बित सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ जल्द निस्तारित करने की कृपा करें।

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से विभिन्न समाचार पत्रों के लिए विस्तार से एक प्रेस विज्ञापित सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में लिखें। जिसमें निम्न बातें मुख्य रूप सम्मिलित करें।

संगठन के एक प्रतिनिधि मण्डल का जिक्र करते हुए लिखें कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि ने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा से भेंट की।

भावनात्मक रूप से ऐंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज के दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी तथा कथित प्रबंधक को बर्खास्त करने की मांग रखते हुए लिखें कि उन्होंने निष्पक्ष जांच का हवाला देते दिया।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा का जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ० आई०पी०सिंह सौलकी से दूरभाष पर वार्ता का जिक्र करते हुए लिखें कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा ने जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) से दूरभाष पर वार्ता करते हुए प्रकरण पर कार्यावाही करने के निर्देश प्रदान किए।

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ० आई०पी०सिंह सौलकी का हवाला देते हुए लिखें कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा से हुई दूरभाष के क्रम में संगठन के प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता के लिए अपने कार्यालय बुलाया।

संगठन के प्रतिनिधि मण्डल और जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ० आई०पी०सिंह सौलकी से हुई वार्ता का हवाला देते हुए लिखें कि जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ० आई०पी०सिंह सौलकी ने प्रकरण का लिखित रूप से एक पत्र जारी कर जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) ने वार्ता में संगठन द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आंदोलन और बोर्ड परीक्षा बहिष्कार का वापस लेने का लिखित रूप से आग्रह किया कि शिक्षा एवं छात्र हित बोर्ड परीक्षा को वापस ले।

इसके पश्चात आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को संगठन की एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की एक बैठक का हवाल देते हुए लिखें कि अपराह्न 2 बजे महर्षि परशुराम इण्टर कालेज यमुना किनारा आगरा में बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक के निर्णय से अवगत कराते हुए लिखें कि कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ऐंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी की निष्पक्ष जांच और छात्र हित मे बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार के निर्णय को लिखित आश्वासन के पश्चात वापस लिया गया है।

जनपद के सभी शिक्षकों से भावनात्मक अपील करते हुए लिखें कि वो बोर्ड परीक्षा में परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता के लिए अपने दायित्वों का पालन इमानदारी से करें।

प्रतिनिधि मण्डल में मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉ० विशाल आनन्द, जिलामंत्री प्रवीन शर्मा, विमल शर्मा, प्रभात समाधिया, अंकित शर्मा, शाहतोष गौतम, राकेश सारस्वत, चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, रजेश शर्मा, आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से विभिन्न समाचार पत्रों के लिए विस्तार से एक प्रेस विज्ञापित सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में लिखें। जिसमें निम्न बातें मुख्य रूप सम्मिलित करें।

घटना का हवाला देते हुए लिखें कि दिनांक 29.02.2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा 2024, इण्टरमीडिएट गणित एवं जीव विज्ञान की परीक्षा चल रही थी।

परीक्षा के मध्य लगभग 3:11 मिनट पर आल प्रिंसीपल के वाट्सएप ग्रुप पर मोबाइल नम्बर 9897525748 पर इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान संकेतांक 348 (जी०एल०) एवं इण्टरमीडिएट गणित संकेतांक 324 (एफ०सी०) की फोटो वायरल की गयी है।

उक्त वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मोबाइल नम्बर 9897525748 पर श्री विनय चौधरी नाम प्रदर्शित हो रहा है।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त विनय चौधरी नामक व्यक्ति अतर सिंह इण्टर कॉलेज सौझली किरावली आगरा विद्यालय कोड–1224 में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है।

यू०पी०बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट की दिनांक 29.02.2024 को द्वितीय पाली में गणित एवं जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले श्री विनय चौधरी व अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना फतेहपुरसीकरी, जनपद आगरा। दर्ज करायी गयी जिसमें अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक श्री गम्भीर सिंह स०अ०, जी०एस०के० इण्टर कॉलेज किरावली जनपद आगरा भी है पुलिस ने अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक श्री गम्भीर सिंह, शिक्षक, जी०एस०के० इण्टर कॉलेज किरावली जनपद आगरा को रात को उनके निवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि मुख्य आरोपी फरार है।

संगठन की ओर से लिखें कि संगठन बोर्ड परीक्षा की पवित्रता, सुचित बनाये रखने में पूर्ण विश्वास रखता है

जिला संगठन की ओर से मांग करते हुए लिखें कि दोषियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाये तथा निर्दोष शिक्षक को रिहा कर निष्पक्ष जांच की जाये।

जनपद के शिक्षकों का आक्रोश और प्रतिक्रिया करते हुए लिखें कि निर्दोष शिक्षक श्री गम्भीर सिंह की तुरंत रिहा कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यावाही की जाए।

लिखित आश्वासन के बाद वापस लिया गया बोर्ड परीक्षा बहिष्कार और चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई

आज, 21 फरवरी 2024 को, संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा से मेट की। प्रतिनिधि मंडल में मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉ० विशाल आनन्द, जिलामंत्री प्रवीन शर्मा, विमल शर्मा, प्रभात समाधिया, अंकित शर्मा, शाहतोष गौतम, राकेश सारस्वत, चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, रजेश शर्मा, आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

प्रतिनिधि मंडल ने एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी पर कड़ी आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कथित प्रबंधक को बर्खास्त करने का आग्रह किया। प्रांतीय कोषाध्यक्ष मा० मुकेश शर्मा ने महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी को अनुचित और मनमानी बताते हुए डॉ० आर०पी० शर्मा से आग्रह किया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करें। डॉ० आर०पी० शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ० आई०पी० सिंह सौलकी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए।

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) ने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल से हुई दूरभाष के क्रम में संगठन के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में उन्होंने प्रकरण का लिखित रूप से एक पत्र जारी कर जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने वार्ता में संगठन द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आंदोलन और बोर्ड परीक्षा बहिष्कार का वापस लेने का लिखित रूप से आग्रह किया, ताकि शिक्षा एवं छात्र हित में बोर्ड परीक्षा आयोजित हो सके।

इसके पश्चात आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को संगठन की एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक अपराह्न 2 बजे महर्षि परशुराम इण्टर कालेज यमुना किनारा आगरा में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी की निष्पक्ष जांच और छात्र हित में बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार के निर्णय और चरणबद्ध आंदोलन को लिखित आश्वासन के पश्चात वापस लिया गया है।

मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा ने कहा कि संगठन ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद बोर्ड परीक्षा बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। संगठन ने जनपद के सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षा में परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता के लिए अपने दायित्वों का पालन इमानदारी से करें।

समस्त सम्मानित इकाई अध्यक्ष, मंत्रीगण, और सक्रिय सदस्य,

प्रिय साथियों,

आज 16 फरवरी 2024 को आयोजित साधारण सभा की बैठक में आपकी उपस्थिति निराशाजनक रही। यह बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि हम एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी के खिलाफ आंदोलन के अगले चरणों की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए थे।

एक साधारण सभा में कम से कम इकाई अध्यक्ष/मंत्रियों और सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित होती है। हम उत्साहित थे, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, आशा भी समाप्त होती गई।

जैसा कि आप सभी अवगत हैं, संगठन दो महिला शिक्षकों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा है, उनके अधिकारों और सेवा सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रयासरत है, और प्रबंधन के तानाशाही रवैये का विरोध कर रहा है। इस मामले में कई चरणों में आंदोलन गतिमान है, जिसमें काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य, प्रदर्शन, जन-प्रतिनिधियों से भेट कर ज्ञापन सौंपना आदि शामिल हैं।

आज की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी—

आज की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी जिला मंत्री प्रवीण शर्मा ने अपने संदेश में दी है—

- कल दिनांक 17.02.2024 को जनपद के सभी शिक्षक/शिक्षिकायें अपनी बांह में काली पट्टी बांधकर चॉक ड्राउन हड़ताल करेंगे।
- 22.02.2024 से बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा।

जनपद के सभी इकाई अध्यक्ष/मंत्री से अनुरोध—

जनपद के सभी इकाई अध्यक्ष/मंत्री से सादर निवेदन है कि कल की हड़ताल को शत-प्रतिशत सफल बनाएं। साथ ही, सभी साथी सम्बन्धित फोटो संगठन के ग्रुप पर अवश्य शेयर करें।

विश्वास है कि आप सभी संगठन के निर्णय का पालन करते हुए आंदोलन को सफल बनायेंगे।

!!जय शिक्षक!! !!जय शिक्षक संघ!!

—: एंग्लो बंगाली आंदोलन — दिवस — 14 —:
—: आंदोलन चरण — तीन —:

- ☐ लिखित आश्वासन के बाद वापस लिया गया बोर्ड परीक्षा बहिष्कार और चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय
- ☐ प्रदेशीय कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में 24 फरवरी को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से मेट करेगा प्रतिनिधि मंडल
- ☐ मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ० विशाल आनन्द एवं जिला मंत्री प्रवीन शर्मा ने संयुक्त विज्ञापित जारी कर बताया कि आज, 21 फरवरी 2024 को, संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा डॉ० आर०पी० शर्मा से मेट की। प्रतिनिधि मंडल में मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉ० विशाल आनन्द, जिलामंत्री प्रवीन शर्मा, विमल शर्मा, प्रभात समाधिया, अंकित शर्मा, शाहतोष गौतम, राकेश सारस्वत, चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, रजेश शर्मा, आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी पर कड़ी आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कथित प्रबंधक को बर्खास्त करने का आग्रह किया।

प्रांतीय कोषाध्यक्ष मा० मुकेश शर्मा ने महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी को अनुचित और मनमानी बताते हुए डॉ० आर०पी० शर्मा से आग्रह किया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करें। डॉ० आर०पी० शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा ने जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) डॉ0 आई0पी0सिंह सॉलकी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए।

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) ने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल से हुई दूरभाष के क्रम में संगठन के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में उन्होंने प्रकरण का लिखित रूप से एक पत्र जारी कर जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने वार्ता में संगठन द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आंदोलन और बोर्ड परीक्षा बहिष्कार का वापस लेने का लिखित रूप से आग्रह किया, ताकि शिक्षा एवं छात्र हित में बोर्ड परीक्षा आयोजित हो सके।

इसके पश्चात आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को संगठन की एक महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक अपराह्न 2 बजे महर्षि परशुराम इण्टर कालेज यमुना किनारा आगरा में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कालेज आगरा की दो महिला शिक्षकों की बर्खास्तगी की निष्पक्ष जांच और छात्र हित में बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार के निर्णय और चरणबद्ध आंदोलन को लिखित आश्वासन के पश्चात वापस लिया गया है।

मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा ने कहा कि ऐंग्लो बंगाली गर्ल्स इण्टर कालेज प्रकरण को लेकर प्रांतीय कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 24 फरवरी 2024 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ0 महेन्द्र देव से मेंट करने के लिए लखनऊ प्रस्थान करेगा। प्रतिनिधि मंडल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से मेंट कर प्रकरण में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग करेगा। प्रतिनिधि मण्डल में मण्डल अध्यक्ष भीष्ममद्र लवानियों, मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉ0 विशाल आनन्द, जिलामंत्री प्रवीन शर्मा आदि मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे।

संगठन ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद बोर्ड परीक्षा बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। संगठन ने जनपद के सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षा में परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता के लिए अपने दायित्वों का पालन इमानदारी से करें।

डॉ0(विशाल आनन्द) (जिलाध्यक्ष)
प्रवीन शर्मा (जिलामंत्री)

ऐंग्लो बंगाली गर्ल्स इण्टर कालेज प्रकरण को लेकर प्रांतीय कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 24 फरवरी 2024 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ0 महेन्द्र देव से मेंट करने के लिए लखनऊ प्रस्थान करेगा। प्रतिनिधि मंडल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से मेंट कर प्रकरण में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग करेगा। प्रतिनिधि मण्डल में मण्डल अध्यक्ष भीष्ममद्र लवानियों, मण्डलीय मंत्री अजय शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉ0 विशाल आनन्द, जिलामंत्री प्रवीन शर्मा आदि मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे।

- ☐ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024: प्रश्नपत्र वायरल, निर्दोष शिक्षक गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरार
- ☐ जनपद के शिक्षकों में आक्रोश, निर्दोष शिक्षक को रिहा कर निष्पक्ष जांच की मांग

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ0 विशाल आनन्द एवं जिला मंत्री प्रवीन शर्मा ने संयुक्त विज्ञापित जारी कर बताया कि कल दिनांक 29 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा 2024, इण्टरमीडिएट गणित एवं जीव विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के मध्य लगभग 3.11 मिनट पर आल प्रिंसीपल के वाट्सएप ग्रुप पर मोबाइल नम्बर 9897525748 पर इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान संकेतांक 348 (जी0एल0) एवं इण्टरमीडिएट गणित संकेतांक 324 (एफ0सी0) की फोटो वायरल की गयी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्रश्नपत्र अतर सिंह इण्टर कॉलेज रौड़ोली किरावली आगरा के कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री विनय चौधरी द्वारा वायरल किए गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक श्री गम्भीर सिंह, शिक्षक, जी०एस०के० इण्टर कॉलेज किरावली जनपद आगरा को रात को उनके निवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि सभी मुख्य आरोपी फरार है।

प्रांतीय कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा ने बताया कि जनपद के शिक्षकों में श्री गम्भीर सिंह की गिरफ्तारी पर भारी रोष है। उनका कहना है कि श्री गम्भीर सिंह एक अनुभवी और ईमानदार शिक्षक हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। श्री गम्भीर सिंह को तुरंत रिहा कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

मंडलीय मंत्री अजय शर्मा ने कहा कि जिला संगठन बोर्ड परीक्षा की पवित्रता और सुचिता बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करता है। संगठन इस घटना की कड़ी निंदा करता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। जिला संगठन की मांग है कि मुख्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष शिक्षक श्री गम्भीर सिंह को रिहा कर निष्पक्ष जांच की जाए।

डॉ0(विशाल आनन्द) (जिलाध्यक्ष)
प्रवीन शर्मा (जिलामंत्री)

आप सभी को अवगत कराया जाता है कि आज दिनांक 1 मार्च 2024 को प्रातः 11.30 बजे प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यालय का घेराव किया गया। यह घेराव तदर्थ शिक्षकों के प्रकरण, माह फरवरी माह का वेतन जल्द जारी कराने और पेपर आउटध्तीक प्रकरण में निर्दोष साथी अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक श्री गम्भीर सिंह, शिक्षक, जी०एस०के० इण्टर कॉलेज किरावली जनपद आगरा को रात को उनके निवास से गिरफ्तार कर जेल भेजने को लेकर किया गया

संगठन पेपर आउट/लोक प्रकरण की कड़ी निंदा करता है और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करता है। हम सभी का मानना है कि श्री गम्भीर सिंह निर्दोष हैं और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। मुख्य सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभी शिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने आज घेराव में भाग लिया। आपकी एकजुटता ही संगठन ताकत है।

संगठन सभी शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन सभी शिक्षकों से आग्रह करता है कि वे इस मुद्दे पर एकजुट रहें और संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करें।

सादर,
संगठन परिवार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ
आगरा

विषय— तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान को रोकने और मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के संबंध म

संगठन के संज्ञान में आया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा ने फरवरी 2024 के लिए तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान को रोक दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा, माह फरवरी 2024 का सभी तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं। आपके ध्यान में हाई कोर्ट के हालिया आदेश की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसका सीधा प्रभाव तदर्थ शिक्षकों के वेतन पर पड़ता है।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश का गहन विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट होता है कि आदेश में तदर्थ शिक्षकों के वेतन को रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। प्रासंगिक धाराएं भी इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं, और वेतन रोकने का कोई वैध आधार नहीं है।

मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2023 का 21492, आदेश दिनांक 4 जनवरी 2024, पैराग्राफ 21 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को अदालत की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले आदेश तक, सभी शिक्षक अपना कार्य करते रहेंगे और वेतन प्राप्त करते रहेंगे।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मा० उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करें और जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन बिना किसी देरी के संसाधित किया जाए। वेतन रोकना न्याय के खिलाफ है। इन शिक्षकों की वित्तीय सुरक्षा खतरे में है। उम्मीद है कि आप कानूनी निर्देशों का पालन करते हुए आप त्वरित कार्रवाई करेंगे और इन शिक्षकों को वेतन देकर न्याय देंगे।

संगठन सख्त चेतावनी जारी करता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को इस आदेश का पालन करना होगा और तुरंत वेतन जारी करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, अन्यथा संगठन मजबूर होकर मंडल स्तर पर कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आगरा को एक औपचारिक पत्र, सरल भाषा में, तृतीय दृष्टिकोण में लिखें। जिसमें निम्न बातें मुख्य रूप से सम्मिलित करें। विभिन्न शासनादेशों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व प्रपत्र जमा करना चाहिए। पेंशन प्रकरणों को सेवानिवृत्ति से चार माह पूर्व पेंशन और लेखा कार्यालय को भेजना चाहिए। निवर्तन करते हुए लिखें कि आगरा मंडल में केवल जनपद आगरा में सेवा निवर्तन होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन, जी०पी०एफ० आदि अन्य देयक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लम्बित है। समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों/निर्देशों में निर्धारित समयसीमा के बावजूद पेंशन प्रकरण उप-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय में अप्रप्त है। संगठन की ओर से निवर्तन करते हुए लिखें कि को आगरा मंडल में होने वाले सभी सेवानिवृत्ति शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूचना उपलब्ध कराये। अतः मैं चेतावनी जारी करते हुए लिखें कि समय से शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन, जी०पी०एफ० आदि अन्य देयकों का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा संगठन कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

माननीय मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

आगरा

विषय- सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान

आदरणीय महोदय,

यह पत्र आपके ध्यान में यह लाने के लिए लिखा जा रहा है कि विभिन्न शासनादेशों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को समय पर सेवानिवृत्ति हितलाभों का भुगतान करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार -

सेवा-निवृत्ति से छह माह पूर्व शिक्षक/शिक्षिकाओं की आवश्यक प्रपत्र जमा कर पत्रावली तैयार की जानी चाहिए। पेंशन प्रकरणों को सेवानिवृत्ति से चार माह पूर्व पेंशन और लेखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यह चिंता का विषय है कि इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, आगरा मंडल में केवल जनपद आगरा के सेवा-निवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन, जीपीएफ और अन्य देयक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लम्बित हैं।

समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों/निर्देशों में निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी, पेंशन प्रकरण उप-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं।

आपसे अनुरोध करते हैं कि आगरा मंडल में होने वाले सभी सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची उपलब्ध कराएं तथा समय पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन, जीपीएफ और अन्य देयकों का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संगठन को कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

भवदीय,

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से विभिन्न समाचार पत्रों के लिए विस्तार से एक प्रेस विज्ञापित सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में लिखें। जिसमें निम्न बातें मुख्य रूप से सम्मिलित करें। परिषदीय परीक्षा वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाएं बनारस से मुजफ्फरनगर के एस डी इंटर कॉलेज पर पहुंचीं दिनांक 17/18-03-2024 को ट्रक पर दो पुलिस आरक्षी, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और दो सहायक अध्यापक साथ थे रात्रि के समय कॉलेज बंद होने के कारण ट्रक सड़क के सहारे खड़ा किया गया उपनिरीक्षक नागेन्द्र चौहान एवं सहायक अध्यापक संतोष कुमार गाड़ी के आगे ड्राइवर के साथ तथा पीछे आरक्षी चंद्र प्रकाश सहायक अध्यापक धर्मेन्द्र कुमार व दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण थे चंद्र प्रकाश शराब के नशे में था और आराम नहीं करने दे रहा था, जिस पर धर्मेन्द्र कुमार ने आपत्ति की मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश ने फायर किया, जिससे धर्मेन्द्र कुमार घायल हो गए धर्मेन्द्र कुमार को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप, पूरे प्रदेश में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य रूप से जानकारी देते हुए लिखें कि जनपद आगरा के पाँचों मूल्यांकन केन्द्रों राजकीय इंटर कालेज आगरा, एम०डी०जैन इंटर कालेज आगरा, आर०बी०एस० इंटर कालेज आगरा, एन०सी०वैदिक इं०क० आगरा और नगर निगत इं०क० आगरा पर मृतक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में शोक सभा आयोजित कर मूल्यांकन कार्य स्थगित किया गया। मण्डलीय मंत्री के बयान में लिखें कि यह बहिष्कार नहीं है। कल से पुनः समय से मूल्यांकन कार्य करें।

जिला संगठन की ओर से एक छोटा संदेश लिखें जिसमें कड़ा विरोध दर्ज करते हुए जनपद के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं मूल्यांकन कार्य तुरंत अभी बहिष्कार की अपील करें कि और निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें।

शिक्षक साथी श्री धर्मेन्द्र कुमार की मुजफ्फरनगर में हत्या का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ घोर निंदा करता है संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ इस हत्या के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा लिए गए मूल्यांकन बहिष्कार का पूर्ण समर्थन करता है आज दिनांक 18 मार्च को संगठन से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि वह अपने शिक्षक साथी की हत्या के विरोध में मूल्यांकन कार्य से विरत रहे और मूल्यांकन का बहिष्कार करें

शिक्षक साथी श्री धर्मेन्द्र कुमार की हत्या का विरोध और मूल्यांकन कार्य बहिष्कार

सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को,

यह जिला संगठन की ओर से एक गहरी वेदना और आक्रोश भरा संदेश है। हमारे शिक्षक साथी श्री धर्मेन्द्र कुमार की मुजफ्फरनगर में हुई हत्या की हम घोर निंदा करते हैं। यह घटना शिक्षक समुदाय के लिए एक कलंक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

प्रदेश अध्यक्ष, श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी ने घोषणा की है कि संगठन राजकीय शिक्षक संघ द्वारा किए गए मूल्यांकन बहिष्कार का पुरजोर समर्थन करता है। संगठन इस हत्या के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा लिए गए मूल्यांकन बहिष्कार का पूर्ण समर्थन करता है।

हम आप सभी शिक्षक साथियों से अपील करते हैं कि आज दिनांक 18 मार्च को अपने शिक्षक साथी की हत्या के विरोध में मूल्यांकन कार्य से विरत रहें और मूल्यांकन का बहिष्कार करें।

यह सिर्फ एक औपचारिक बहिष्कार नहीं, बल्कि हमारे शिक्षक साथी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाने का एक मजबूत कदम होगा।

आइए, हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और शिक्षक समुदाय की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहें।

अपील
प्रदेश कोषाध्यक्ष मा० मुकेश शर्मा
मण्डल अध्यक्ष: भीष्मभद्र लवानियां
मंडलीय मंत्री: अजय शर्मा
जिलाध्यक्ष: डा० विशाल आनन्द
जिलामंत्री: प्रवीन शर्मा
एवं समस्त जिला कार्याकारिणी

संगठन का शोक प्रदर्शन – निर्मम हत्याकांड के विरोध में मूल्यांकन कार्य स्थगित
सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर मृतक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार को श्रद्धांजलि, शोक सभा आयोजित

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ० विषाल आनन्द एवं जिला मंत्री प्रवीन शर्मा ने संयुक्त विज्ञापित जारी कर बताया कि 17/18 मार्च 2024 की रात को, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाएं बनारस से मुजफ्फरनगर के एस डी इंटर कॉलेज पहुंचाई जा रही थीं। ट्रक में दो पुलिस आरक्षी, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और दो सहायक अध्यापक सवार थे। रात्रि के समय कॉलेज बंद होने के कारण ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया।

उपनिरीक्षक नागेन्द्र चौहान और सहायक अध्यापक संतोष कुमार गाड़ी के आगे ड्राइवर के साथ बैठे थे, जबकि आरक्षी चंद्र प्रकाश, सहायक अध्यापक धर्मेन्द्र कुमार और दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पीछे बैठे थे। आरक्षी चंद्र प्रकाश शराब के नशे में था और आराम नहीं करने दे रहा था। जब सहायक अध्यापक धर्मेन्द्र कुमार ने आपत्ति की, तो मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश ने गोली चला कर निर्मम हत्या कर दी।

प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा ने बताया कि इस दुखद घटना के विरोध में, पूरे प्रदेश में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत पूरे प्रदेश में मृतक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा आयोजित की और विरोध में मूल्यांकन कार्य स्थगित किया।

मृतक शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में, जनपद आगरा के पांच मूल्यांकन केंद्रों – राजकीय इंटर कॉलेज आगरा, एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा, आरबीएस इंटर कॉलेज आगरा, एनसी वैदिक इंटर कॉलेज आगरा और नगर निगम इंटर कॉलेज आगरा – में शोक सभा आयोजित की गई और मूल्यांकन कार्य स्थगित कर दिया गया
मण्डलीय मंत्री ने कहा है कि यह बहिष्कार नहीं है, बल्कि शोक प्रदर्शन है। उन्होंने घोषणा की कि कल से सभी मूल्यांकन केंद्रों पर समय से मूल्यांकन कार्य फिर से शुरू हो जाएगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से भारीतय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक औपचारिक पत्र इस आशय से लिखो कि छात्र हित में विद्यालय में अपने स्रोतों से बिजली के पंखे, वॉटर डिस्पेंसर, अलमारी आदि उपहार स्वरूप भेंट करने का निवेदन करें। जिसमें निम्न बातों का मुख्य रूप से सम्मिलित करें
पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।
पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।
पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।
पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।
बैंक प्रबंधक को विन्नमता पूर्वक अवगत कराओं कि शाखा में शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के खाते संचालित हैं
भावनात्मक रूप से छात्र एवं छात्राओं को होने वाली परेशानी का प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करो जैसे गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है
विद्यालय में पंखे, वाटर डिस्पेंसर और अलमारी की कमी है
यदि बैंक इन वस्तुओं को भेंट करे तो विद्यार्थियों को अध्ययन करने में सुविधा होगी
बैंक का आभार प्रकट करते हुए लिखो जैसे विद्यालय बैंक के इस नेक कार्य के लिए आभारी रहेगा
कृतज्ञता का भाव स्पष्ट करते हुए लिखो जैसे कि बैंक सहायता करता है तो विद्यालय भी बैंक के सामाजिक कार्यों में सहयोग करेगा
पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से बैंक शाखा प्रबंधक को लिखा जाना है। पत्र औपचारिक हो तथा उपर लिखी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए पत्र लिखें।

सेवा में,
श्रीमान् शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
अचल भवन, आगरा

विषय– सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु बैंक से छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण पहल हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बैंक खाते आपकी सम्मानित शाखा में संचालित किए जाते हैं। अतः हम आपसे गुजारिश करते हैं कि विद्यालय में कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गर्मी के मौसम में विद्यालय में तापमान बढ़ने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालात यह हैं कि पर्याप्त संख्या में पंखे नहीं हैं। साथ ही, वाटर डिस्पेंसर और अलमारी की भी कमी है। इससे विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। यदि बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विद्यालय को पंखे, वाटर डिस्पेंसर और अलमारी भेंट करे तो इससे विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी और वे बेहतर ढंग से अपना अध्ययन कर सकेंगे। विद्यालय आपके इस नेक कार्य के लिए कृतज्ञ रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप विद्यालय के इस अनुरोध पर विचार करेंगे। यदि बैंक की ओर से सहायता प्राप्त होती है तो विद्यालय भी अपना हर सम्भव सहयोग देने का प्रयास करेगा। धन्यवाद,

प्रधानाचार्य
महर्षि परशुराम इण्टर कालेज
आगरा

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक-2 आगरा को एक औपचारिक पत्र, सरल भाषा में, तृतीय दृष्टिकोण में लिखें। जिसमें निम्न बातें मुख्य रूप से सम्मिलित करें।

पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।

पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।

पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।

पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

संगठन की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक-2 के पत्र दिनांक 22.4.2024 का हवाला देते हुए लिखें जिसमें श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इण्टर कालेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्या को निम्नलिखित आदेश जारी किए गये

श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इण्टर कालेज के प्रबंधक द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेश न लिए जाने के निर्देश विद्यालय की प्रधानाचार्या को दिए गए हैं।

प्रधानाचार्या ने नवीन प्रवेश के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक-2 से दिशा-निर्देश मांगे हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक-2 ने शासन की प्राथमिकताओं में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराना है का हवाला दिया है

जिला विद्यालय निरीक्षक-2 की ओर से चेतावनी भी दी कि यदि इस सत्र में किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेश नहीं होगा तो प्रबंधक की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है।

जिला विद्यालय निरीक्षक-2 ने प्रबंधक को शासन/विभाग के नियमों/निर्देशों का पालन करने और अपना पक्ष 2 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं

प्रधानाचार्या को विद्यालय में अधिक से अधिक बालिकाओं का नवीन प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि नवीन प्रवेश नहीं किए गए और सत्र 2024-25 शून्य हो गया तो प्रधानाचार्या के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

उपर दिये गये आदेश के बावजूद भी प्रबंधक और प्रधानाचार्या विद्यालय में नवीन छात्राओं का प्रवेश नहीं ले रहे हैं

विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं ने एक शिकायत दिनांक 27.4.2024 को पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक-2, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, आगरा, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आगरा व अन्य से की है जिसमें निम्नलिखित बातें को सम्मिलित करें

श्रीमती ममता दीक्षित, जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्या, किसी भी कक्षा में नए प्रवेश नहीं ले रही हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक-2 ने पहले उन्हें नए प्रवेश लेने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया है।

कक्षा 1 में नए सत्र में छात्राओं की संख्या शून्य है।

विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं का अनुरोध है कि डीआईओएस कार्यवाहक प्रधानाचार्या को नए प्रवेश लेने का निर्देश दें, ताकि छात्रों का हित सुरक्षित हो सके और नया सत्र शून्य न हो।

संगठन की ओर से विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक-2 से सम्बन्धित विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्या के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निवेदन करें।

अतः मैं संगठन की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक-2 को चेतावनी जारी करते हुए लिखें जिसमें प्रकरण जल्द निस्तारित न होने की स्थिति में आंदोलन करने की बाध्यता लिखें

ध्यान रखें संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक-2 आगरा को एक औपचारिक पत्र, सरल भाषा में, तृतीय दृष्टिकोण में लिखा जाना है जिसमें दिए गए सभी तथ्य प्रभावी रूप से सम्मिलित हों।

जिला विद्यालय निरीक्षक-2, आगरा
विषय- श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज, आगरा में छात्राओं के नवीन प्रवेश न लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह पत्र आपके पत्रांक/मा-0-1/26-28 /2024-25 दिनांक 22-04-2024 के संदर्भ में लिखा जा रहा है, जिसमें जिसमें श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज, आगरा में नए प्रवेश न लिए जाने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। संगठन के संज्ञान में आया है कि विद्यालय के प्रबंधक और कार्यवाहक प्रधानाचार्या आपके आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं और विद्यालय में किसी भी कक्षा में नए प्रवेश नहीं लिए जा रहे हैं।

यह स्थिति न केवल विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बाधित कर रही है, बल्कि छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का भी उल्लंघन कर रही है।

विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा दिनांक 27.04.2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक-2, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, आगरा, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आगरा व अन्य को प्रेषित शिकायत पत्र भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

संगठन आपके द्वारा विद्यालय प्रबंधन और कार्यवाहक प्रधानाचार्या को 2 दिनों के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और शासन/विभाग के नियमों/निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने की सराहना करता है। परन्तु, विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप छात्राओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं का कहना है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्या श्रीमती ममता दीक्षित किसी भी कक्षा में नए प्रवेश नहीं ले रही हैं, जिसके कारण कक्षा 1 में नए सत्र में छात्राओं की संख्या शून्य है। यह स्थिति गंभीर चिंताजनक है और बालिका शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, संगठन अनुरोध करता है कि विद्यालय प्रबंधन और कार्यवाहक प्रधानाचार्या के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और तत्काल प्रभाव से छात्राओं के सभी कक्षाओं में नवीन प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो संगठन बाध्य होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आशा है कि आप इस मामले में त्वरित और उचित कार्यवाही करेंगे।

भवदीय,

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से भारत निर्वाचन अयोग को एक सरल और मर्मिक भाषा में लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण में जनपद आगरा के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की मतदान कार्मिक में लगायी गयी चुनाव ड्यूटी की खामियों को लेकर तृतीय दृष्टिकोण में एक औपचारिक पत्र लिखें जिसमें निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें।

पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।

पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।

पत्र में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें।
पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।
पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

6 मई, 2024 को 42^{वाँ} के तापमान में पोलिंग पार्टियां लगभग 5 घंटे तक मंडी समिति में फंसी रहीं और रात 9 बजे तक अपने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाईं। प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं की गई। कई महिला शिक्षिकाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर पोलिंग पार्टियों में आईं।

शिक्षिकाओं ने अपने 12 महीने, 15 महीने और 18 महीने के बच्चों के आधार पर ज्यूटी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। परंतु कोई कार्यावाही नहीं हुई। महिला कर्मिक छोटे बच्चों के साथ आई थीं और वे छोटे-छोटे पेड़ों के नीचे जमीन पर कपड़ा बिछाकर आराम कर रही थीं। मतदान कर्मिकों को बस की तलाश में तीन घंटे से भटक रहे थे। आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर मतदान कर्मिकों के वाहन और पोलिंग पार्टियों की बसें लाइन में लगी हुई थीं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के कारण इस मार्ग पर दिनभर जाम लगा रहा। मंडी समिति में क्षमता से अधिक मतदान कर्मियों के जमा होने से प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। 55 वर्ष से अधिक कुछ मतदान कर्मिक जो हृदय रोगी थे मंडी समिति में क्षमता से अधिक अव्यवस्थाओं के कारण बेहोश होकर गिरे मतदान कर्मिकों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। उन्हें पानी, बिस्तर और मच्छरों से बचाव के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी। मतदान केंद्रों पर रात बेहद असहज रही। सोने के लिए बिस्तर नहीं मिले। कहीं-कहीं छोटे कमरे (5*8 फीट) में पोलिंग बूथ बनाया गया था। पीठासीन अधिकारी छोटे कमरे में व्यवस्था करने को लेकर परेशान थे। ईवीएम जमा करने के दौरान भारी अव्यवस्था थी और प्रपत्रों को कर्मचारियों द्वारा अनियमित तरीके से लिया गया। कर्मचारियों का व्यवहार भी उचित नहीं था। ये सभी बिंदु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत थे। उक्त सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए भारतीय चुनाव आयोग को एक शिकायती पत्र लिखो जिसमें अव्यवस्थाओं को सुधार हेतु सुझाव भी सम्मिलित करो। पत्र भावनात्मक और मार्मिक भाषा में लिखो

विषय- लोकसभा निर्वाचन 2024 के तीसरे चरण में मतदान कर्मियों को हुई परेशानियों के सम्बन्ध में

सेवा में,
माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली – 110001

विनम्र निवेदन है कि आगरा जनपद में 7 मई, 2024 को संपन्न लोकसभा निर्वाचन के तृतीय चरण में मतदान कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिससे न केवल उनका मनोबल गिरा बल्कि लोकतंत्र के इस महापर्व की गरिमा भी आहत हुई।

42^{वाँ} के अत्यधिक तापमान में करीब 5 घंटे तक पोलिंग पार्टियां मंडी समिति में फंसी रहीं और रात 9 बजे तक अपने पोलिंग बूथ नहीं पहुंच पाईं। प्रशासन द्वारा मतदान कर्मियों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।

बहुत सी महिला शिक्षिकाएं अपने छोटे बच्चों के साथ पोलिंग पार्टियों में शामिल थीं। इनमें से कुछ के बच्चे मात्र 12, 15 या 18 महीने के थे। इन्होंने छोटे बच्चों के आधार पर ज्यूटी से छूट देने की मांग की थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। छोटे बच्चों के साथ आई महिला कर्मिकों को पेड़ों के नीचे कपड़े बिछाकर आराम करना पड़ा। भारत निर्वाचन आयोग परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने नियम लागू करता है। जहां पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों, वहां चुनाव ज्यूटी के लिए केवल एक को ही तैनात किया जाएगा ताकि एक सदस्य बच्चों/बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों को निभा सके। इससे चुनाव ज्यूटी के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। एकल माता/पिता और छोटे बच्चों वाले परिवारों को भी छूट दी जाएगी। यह एक प्रशंसनीय प्रावधान है, लेकिन इसके सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए कठोर कदमों की आवश्यकता होगी।

मतदान कर्मों बसों की तलाश में 3 घंटे तक भटकते रहे। आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मतदान वाहनों और बसों की लंबी लाइन लग गई, जिससे दिनभर जाम रहा। मंडी समिति में क्षमता से अधिक भीड़ होने पर व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। 55 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ हृदयरोगी मतदान कर्मों बेहोश होकर गिर पड़े।

मतदान कर्मियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। उन्हें पानी, बिस्तर और मच्छरदानियों की कमी झेलनी पड़ी। मतदान केंद्रों पर रातें असहज बित्ती क्योंकि सोने के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं थे। कहीं-कहीं छोटे कमरों (5*8 फीट) में पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे, जिससे पीठासीन अधिकारियों को भारी परेशानी हुई।

ईवीएम जमा करने के दौरान भी भारी अव्यवस्था थी और प्रपत्रों को कर्मचारियों द्वारा अनियमित तरीके से लिया गया। कर्मचारियों का व्यवहार भी उचित नहीं था। ये सभी बिंदु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत थे।

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न केवल मतदान कर्मियों के लिए अपमानजनक थीं, बल्कि लोकतंत्र और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं। एक ओर जहां हम गर्व से कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाएं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

अतः निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मंडी समिति जैसी व्यवस्थाओं का पूर्व से ही नियोजन किया जाए। महिला कर्मियों और उनके बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मतदान केंद्रों पर भोजन, पानी, बिस्तर, मच्छरदानियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य हो।

आशा है कि आप इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर्मियों और उनके सहयोगियों की गरिमा का संरक्षण अति आवश्यक है।

धन्यवाद,

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी और प्रदेश महामंत्री माननीय नरेन्द्र वर्मा जी को अवगत कराते हुए एक सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में एक औपचारिक पत्र लिखें जिसमें निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें।
पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।
पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।
पत्र में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें।
पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।

पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

औपचारिक पत्र के मुख्य उद्देश्य

- प्रस्ताव संख्या 3 में तदर्थ शिक्षकों की मांग में आंशिक बदलाव का सुझाव “बदलाव जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षकों की ओर से, तत्काल सेवा में बहाली और विनियमितकरण की मांग करता है। जिससे तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी।”
- पत्र को सरल और भावनात्मक भाषा का इस तरीके से प्रस्तीतीकरण हो कि जिससे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को सुझाव को स्वीकार करने में सहजता महसूस हो।
- पत्र को सरल और भावनात्मक भाषा का इस तरीके से प्रस्तीतीकरण हो कि तदर्थ शिक्षकों की नारजगी को इस तरीके से अवगत कराये कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को इस ज्ञापन में शामिल करने में सहर्ष स्वीकार हो।
- पत्र में दिनांक 25 जुलाई को प्रदेशव्यापी धरना जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाये उसमें तदर्थ शिक्षकों की बहाली की मांग के साथ-साथ उनका विनियमितकरण का सुझाव जिससे प्रदेश के समस्त तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालिक लाभ हो सके। और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को इस ज्ञापन में शामिल करने में सहर्ष स्वीकार हो।

भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए परिपत्र संख्या 04/2024 दिनांक 23 जून, 2024 के का हवाला देते हुए लिखो। संदर्भ देते हुए लिखो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी शिविर एवं राज्य परिषद की बैठक दिनांक 22 जून, 2024 को लखनऊ स्थित गाँधी भवन प्रेक्षागृह में संगठन के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एम.एल.सी. की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई आगे लिखो कि बैठक में निश्चय किया गया कि दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रादेशिक एवं स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जायेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री को अवगत कराते हुए लिखो कि दिनांक 22 जून, 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी शिविर एवं राज्य परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-03 जों तदर्थ शिक्षकों की बहाली से सम्बंधित है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी और महामंत्री माननीय नरेन्द्र वर्मा को एक जिला संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए मांगपत्र का हवाला देते हुए प्रस्ताव पर प्रकाश डालो कि

तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बहाल करना और विनियमित करना दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं:

सेवा में बहाली:

इसका अर्थ है नौकरी से हटाए गए तदर्थ शिक्षकों को वापस उनकी नौकरी पर लाना। यह अस्थायी हो सकता है, यानी निश्चित अवधि के लिए हो सकता है। सेवा में बहाली का अर्थ तदर्थ शिक्षकों का स्वतः विनियमितकरण बिल्कुल नहीं है।

विनियमितकरण:

इसका अर्थ है तदर्थ शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान अधिकार और लाभ प्रदान करना। इसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि शामिल हो सकते हैं। विनियमितकरण तदर्थ शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी बनाता है।

प्रस्ताव में क्या मांग की गई है?

प्रस्ताव स्पष्ट रूप से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितकरण की मांग नहीं करता है। यह केवल उनकी सेवा में बहाली की मांग करता है, मानवीय आधार पर। इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार उन्हें अस्थायी आधार पर फिर से नियुक्त कर सकती है, न कि स्थायी रूप से।

निष्कर्ष

प्रस्ताव का उद्देश्य तदर्थ शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करना है, न कि उनकी दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना। तदर्थ शिक्षकों का विनियमितकरण एक अलग मुद्दा है जिसके लिए अलग नीतिगत बदलाव की आवश्यकता होगी।

विनम्रता पूर्वक अवगत करतो हुए लिखो कि इस परिपत्र को पढ़कर तदर्थ शिक्षकों का रोष व्यक्त करते हुए लिखो तदर्थ शिक्षकों झोभ प्रकट कर रहे है वो सेवा बहाली जो की अस्थायी लाभ है के साथ विनियमितकरण की भी मांग कर रहे है। जिसमे तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसलिए ज्ञापन में शीर्षक में बदलाव जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षकों की ओर से, तत्काल सेवा में बहाली और विनियमितकरण की मांग करता है। जिससे तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

भावनात्मक रूप से अनुरोध, आशा और उम्मीद प्रकट करते हुए लिखो अतः इस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री को सुझाव देते हुए लिखो कि दिनांक 25 जुलाई को प्रदेशव्यापी धरना जो जनपद स्तर पर दिया जाना सुनिश्चित हुआ है जिसमें प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जायेगा। इस ज्ञापन में प्रस्ताव संख्या 3 में संशोधन सम्भव नहीं है। परंतु दिनांक 25 जुलाई को दिये जाने वाल ज्ञापन में सम्मिलित करने का कष्ट करे।

श्रीमान सुरेश कुमार त्रिपाठी जी,
प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

श्रीमान नरेन्द्र वर्मा जी,
प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

विषय: प्रस्ताव संख्या 3 में तदर्थ शिक्षकों की मांग में आंशिक बदलाव के सुझाव के संबंध में।

माननीय महोदय,

संदर्भ— परिपत्र संख्या 04/2024 दिनांक 23 जून, 2024

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, दिनांक 22 जून, 2024 को लखनऊ स्थित गाँधी भवन प्रेक्षागृह में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एम.एल.सी. की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक

संघ का ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी शिविर एवं राज्य परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रादेशिक एवं स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जायेगा।

इस संदर्भ में, यह ध्यान में लाना आवश्यक है कि प्रस्ताव संख्या-03 में तदर्थ शिक्षकों की केवल सेवा बहाली की मांग की गई है। परंतु, प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षक इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। वे सेवा बहाली के साथ-साथ विनियमितिकरण की भी मांग कर रहे हैं, जो उनके दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 (कम या ज्यादा हो सकता है) तदर्थ शिक्षक हैं जो पिछले कई वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश शिक्षक 15-20 वर्षों से सेवारत हैं और उच्च योग्यता रखते हैं। इन शिक्षकों की सेवाओं को स्थायी न करना न केवल उनके लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि शैक्षिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है।

अतः, यह अनुरोध है कि दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव को सम्मिलित करने का कष्ट करें:

“उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रदेश के हजारों तदर्थ शिक्षकों की ओर से, तत्काल सेवा में बहाली और विनियमितिकरण की मांग करता है। जिससे तदर्थ शिक्षकों को दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी।”

यह संशोधन न केवल तदर्थ शिक्षकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। यह सुझाव तदर्थ शिक्षकों के साथ-साथ सभी प्रदेश के सभी शिक्षकों के मन में संगठन के प्रति अटूट विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संगठन सदैव शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहा है और यह प्रस्ताव इस प्रतिबद्धता का एक प्रमाण होगा। शिक्षकों को विश्वास होगा कि संगठन उनकी आवाज सुन रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। आशा है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सुहानभूति पूर्वक विचार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

सादर,

जिलाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

संलग्नक
प्रस्ताव संख्या 3 की समीक्षा

तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बहाल करना और विनियमित करना दो अलग-अलग अवधारणाएं हैंरू

सेवा में बहाली:-

इसका अर्थ है नौकरी से हटाए गए तदर्थ शिक्षकों को वापस उनकी नौकरी पर लाना। यह अस्थायी हो सकता है, यानी निश्चित अवधि के लिए हो सकता है। सेवा में बहाली का अर्थ तदर्थ शिक्षकों का स्वतः विनियमितिकरण नहीं होता है।

विनियमितिकरण:-

इसका अर्थ है तदर्थ शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान अधिकार और लाभ प्रदान करना। इसमें पुरानी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि शामिल हो सकते हैं। विनियमितिकरण तदर्थ शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी बनाता है।

प्रस्ताव में क्या मांग की गई है?

प्रस्ताव स्पष्ट रूप से तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण की मांग नहीं करता है। यह केवल उनकी मानवीय आधार पर सेवा में बहाली की मांग करता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार उन्हें अस्थायी आधार पर फिर से नियुक्त कर सकती है, न कि स्थायी रूप से।

निष्कर्ष

प्रस्ताव का उद्देश्य तदर्थ शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करना है, न कि उनकी दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए यह संशोधन न केवल तदर्थ शिक्षकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। यह सुझाव तदर्थ शिक्षकों के साथ-साथ सभी प्रदेश के सभी शिक्षकों के मन में संगठन के प्रति अटूट विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संगठन सदैव शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहा है और यह प्रस्ताव इस प्रतिबद्धता का एक प्रमाण होगा। शिक्षकों को विश्वास होगा कि संगठन उनकी आवाज सुन रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। आशा है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सुहानभूति पूर्वक विचार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

संगठन के जिलाध्यक्ष की ओर से आगरा जनपद के निम्न विद्यालयों के संगठन के सदस्यता अभियान के संदर्भ में एक छोटा संदेश लिखो जिसमे निम्नबातों को सम्मिलित करो

- पत्र में “मैं” या “हम” शब्द का प्रयोग न करें।
- पत्र में “आप” शब्द का प्रयोग कम से कम करें।
- पत्र में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें।
- पत्र में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।
- पत्र में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

भावनात्मक और प्रभावी ढंग से लिखो कि जैसा कि आप सभी अवगत है कि इस समय संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के तहत कल दिनांक 4.7.2024 को टी यूपीएमएसएस आगरा छावनी क्षेत्र के निम्न विद्यालयों का दौरा करेगी

- डीबीएस खालसा इण्टर कालेज आगरा
- श्रीमती बी0डी0 जैन कन्या इण्टर कालेज आगरा
- गोपीचन्द शिवहरे कन्या विद्यालय आगरा
- लाल बहादुर शास्त्री त्रिवेणी देवी इण्टर कालेज आगरा
- त्रिवेणी देवी इण्टर कालेज आगरा
- एन0सी0वैदिक इण्टर कालेज आगरा
- श्रीमती जॉय हैरिस कन्या इण्टर कालेज आगरा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित सदस्यों,
वर्तमान में चल रहे संगठन के सदस्यता अभियान के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि 'दिनांक 4.7.2024 को जमंडू न्यू आगरा छावनी क्षेत्र के निम्नलिखित विद्यालयों का दौरा' करेगी

- 1. डीबीएस खालसा इण्टर कालेज आगरा
- 2. श्रीमती बी0डी0 जैन कन्या इण्टर कालेज आगरा
- 3. गोपीचन्द्र शिवहरे कन्या विद्यालय आगरा
- 4. लाल बहादुर शास्त्री त्रिवेणी देवी इण्टर कालेज आगरा
- 5. त्रिवेणी देवी इण्टर कालेज आगरा
- 6. एन0सी0वैदिक इण्टर कालेज आगरा
- 7. श्रीमती जॉय हैरिस कन्या इण्टर कालेज आगरा

यह 'अभियान संगठन की मजबूती और एकजुटता' का प्रतीक है। 'प्रत्येक सदस्य' का योगदान संगठन को 'नई ऊंचाइयों' तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विगत वर्ष में आगरा जनपद ने 98: सदस्यता लक्ष्य प्राप्त किया था। इस वर्ष 100: लक्ष्य प्राप्ति की आशा है।
सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे 'इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग' लें और अपने सहयोगियों को भी प्रेरित करें। 'संगठन की शक्ति' इसके सदस्यों में निहित है।' धन्यवाद।

मैं आपको एक कन्टेन्ट उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके आधार पर प्रदेश के सभी शिक्षकों का प्रेरित करने, धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करने, और मांगों को मनवाने के लिए एक छोटा संदेश प्रेरक भाषा में लिखें। छोटा संदेश भावनात्मक और स्पष्ट होना चाहिए। यह संदेश सरल भाषा में तृतीय दृष्टिकोण में एक औपचारिक संदेश लिखें जिसमें निम्न बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित करें

- संदेश में "मैं" या "हम" शब्द का प्रयोग न करें।
- संदेश में "आप" शब्द का प्रयोग कम से कम करें।
- संदेश में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें।
- संदेश में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें।
- संदेश में व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से बचें।

- औपचारिक संदेश के मुख्य उद्देश्य
- 1. प्रदेश के समस्त शिक्षकों को धरने में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना।
- 2.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

सम्मानित साथियों,

लखनऊ में आयोजित ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर में सभी शिक्षक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पारित करके सरकार को अवगत कराया गया। चिंतन शिविर में यह निर्णय लिया गया की अपनी मांगों को बल प्रदान करने के लिए व्यापक संघर्ष आवश्यक है उसी क्रम में। जुलाई से 24 जुलाई तक इकाई-इकाई जाकर जन-जागरण व 25 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करके अपनी मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा। ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर में लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 25 जुलाई 2024 को दोपहर 42 बजे से प्रदेश के प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना आयोजित किया गया है। आगे के संघर्ष कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जायेगी। अतः जनपद के समस्त शिक्षक साथियों से आग्रह है कि धरने में प्रतिभाग कर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें व अपनी मांगों को बल प्रदान करें।

- हमारी मांगें -
- 1) पुरानी पेंशन बहाल की जाय।
- 2) वित्तिविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक साथियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाये तथा जब तक यह न सम्भव हो सम्मान जनक मानदेय दिया जाय।
- 3) शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाय।
- 4) स्थानान्तरण की प्रक्रिया को सरल-सुगम तथा शोषण मुक्त किया जाय।
- 5) तदर्थ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को विनियमित किया जाय।
- 6) चयनबोर्ड अधिनियम की धारा 21 , 18, 12 को पुनः स्थापित किया जाय।
- 7) महिला शिक्षकों को अनुमत्य अवकाश की सुविधा को अनिवार्य रूप से अनुमत्य कराने की व्यवस्था की जाय।
- 8) सामूहिक बीमा को पुनः लागू किया जाय।
- 9) कम्प्यूटर व व्यवसायिक शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाय तथा उन्हें पूर्णकालिक किया जाय।
- 10) माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाय।
- 11) 22 मार्च 206 की राजाज्ञा से विनियमित शिक्षकों को सभी सुविधायें नियुक्ति तिथि के आधार पर की जाय।
- 12) शिक्षकों के सभी लम्बित अवशेषों का भुगतान किया जाय।
- 13) विषय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त शिक्षकों को विषय विशेषज्ञ के रूप में दी गयी सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा स्वीकार की जाय।
- 14) । अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त व विनियमित न हो पाये सेवानिवृत्त तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन प्रदान की जाय।

छततंजपअमए क्मेबतपचजपअमए माचवेपजवतलए अतनेपअमए ।दंसलजपबंसए च्वमजपबएैजतमंस व िबवदेबपवनेदमेए श्रवनतदंसपेजपबए ज्मबीदपबंसए ।बंकमउपबए ब्दअमतेंजपवदंसएैजपतपबंसए स्लतपबंसए म्बपेजवसंतलए ळवजीपबए त्वउंदजपबए डपदपउंसपेजए थ्सवूमतलए थ्वतउंसए प्दवितउंसए माचमतपउमदजंसए भ्नुवतवनेएैतबेंजपबए प्तवदपबए क्पकंबजपबए त्मसिमबजपअमए चैपसवेवचीपबंसए ।ससमहवतपबंसए ब्ददमिपवदंसए प्चउतमेपवदपेजपबए त्संसपेजपबएैनततमंसपेजपबए ।इनतकपेजए डमजंचीवतपबंसए ।दमबकवजंसए डलजीवसवहपबंसए कैजवतंसए ज्तंहपबए ब्उपबए डमसवकतंसंजपबएैपउेपबंसएैनेचमदेमनिसए प्देचपतंजपवदंसए क्लेजवचपंदए न्जवचपंदए थ्नजनतपेजपबए म्पेजवतपबंसए ठपवहतंचीपबंसए ।नजवइपवहतंचीपबंसए ब्मंसजपअम दवदपिबजपवद